न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश, सरवाड़, जिला–अजमेर

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं. 48/2021

किशनलाल बनाम रामकुंवरी वगैरह

19.07.2021

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के संक्रमण से बचाव हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र सं. 14/PI/2021 दिनांक 01.07.2021 के आदेशानुसार वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी बाबत नियुक्त किए जाने मौका कमिश्नर का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस जरिए वीडियो कॉल सुनी गई।

दौराने बहस अप्रार्थी सं. 1 से 3 अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जिस जगह का प्रार्थीगण ने यह बापी पट्टा पेश किया है वह जगह वहां मौजूद ही नहीं है तथा जिस जगह का विवाद है वह जगह खातेदारी की आराजीयात खसरा नं. 808 है जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है जिसमें अप्रार्थीगण 1/2 के हिस्सेदार है तथा प्रार्थीगण व उसके भाई 1/2 के हिस्सेदार हैं। विवादित जगह भूमि में ना होकर खातेदारी आराजीयात में है जिसको कि हल्का पटवारी व तहसीलदार ही बता सकते हैं कि वादवर्णित आराजीयात आबादी भूमि में है या खातेदारी भूमि में इसकी जानकारी केवल पटवारी व तहसीलदार ही बता सकते हैं। उक्त विवादित स्थल का बापी पट्टा जो पेश किया है उसमें कांटछांट हो रखी है तथा विवादित स्थल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति पटवारी तहसीलदार ही बता सकते हैं। उक्त विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति न्यायालय के सामने मौका कमिश्नर द्वारा लाई जा सकती है तथा विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति के लिए मौका कमिश्नर के साथ हल्का पटवारी की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के वास्तविक एवं न्यायोचित निस्तारण हेतु मौके की वास्तविक स्थिति को माननीय न्यायालय के समक्ष तलब करवाया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया।

जबकि दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के ग्राम पंचायत स्यार द्वारा आबादी भूमि का बापी पट्टा दिनांक 19.12.1973 को जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित जायदाद को खसरा नं. 808 की भूमि होना कतई गलत अंकित किया है। खसरा नं. 808 की भूमि अलग है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज तथा विवादित भूमि आबादी भूमि है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। वादवर्णित जायदाद का पट्टा ग्राम पंचायत स्यार द्वारा जारी किया गया है। विवादित भूमि आबादी भूमि है, जिसके संदर्भ में राजस्व कर्मचारियों को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादवर्णित भूमि किसी भी प्रकार से राजस्व की भूमि हो इस संदर्भ में कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा विवादित जायदाद का पट्टा प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि यह भूमि आबादी भूमि है जिसके बाबत समस्त क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है। आबादी भूमि के संबंध में पटवारी द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती। वादवर्णित भूमि

के संबंध में प्रस्तुत पट्टे में वर्णित भूमि की सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट अंकित है तथा अंतरिम की बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने मोबाईल से विवादित स्थल के फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए थे, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित लैट्रिन बाथरूम व वर्णित स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अप्रार्थी केवल मात्र साक्ष्य संग्रहित करने की नियत से मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर की नियुक्ति करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन के अनुसार यह जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जहां तक वादवर्णित जायदाद के बाबत हल्का पटवारी को नियुक्त करने बाबत कथन किए है इस संबंध में पट्टेशुदा जायदाद की नापचौप के बाबत पटवारी को नियुक्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए पट्टेशुदा जायदाद की वस्तुस्थिति पक्षकारान् के मध्य मुख्यतः विवाद के निस्तारण के लिए मंगवाई जाना आवश्यक प्रतीत होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में मौका कमिश्नर के रूप में अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश चौधरी को नियुक्त किया जाता है तथा मौका कमिश्नर उभयपक्षों की मौजूदगी में उनको सूचित करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति निष्पक्ष रूप से मौका रिपोर्ट मय रंगीन फोटोग्राफ्स तैयार कर आगामी तारीख पेशी तक न्यायालय में पेश करें। मौका कमिश्नर का खर्चा अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा वहन किया जाएगा। इस बाबत तहरीर जारी हो।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु दिनांक 27.07.2021 को पेश हो।